न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी– रामनिवास जाट,आर.ए.एस.

अपील संख्याः 96/11 **निर्णय दिनांकः–25.04.2019**

1. फलकशेर पुत्र खलील अहमद जाति मुसलमान निवासी केलां तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
2. अहमदशेर पुत्र खलील अहमद जाति मुसलमान निवासी केलां तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. अमीन पुत्र अली शेर जाति मुसलमान निवासी केलां तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
2. अलीशेर पुत्र खलील अहमद जाति मुसलमान निवासी केलां तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
3. अनवर पुत्र खलील अहमद जाति मुसलमान निवासी केलां तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
4. असगर पुत्र खलील अहमद जाति मुसलमान निवासी केलां तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
5. मु. फातमा बेवा खलील अहमद जाति मुसलमान निवासी केलां तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
6. सुभान पुत्र जगीर खॉ जाति मुसलमान निवासी केलां तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर। (फौत)

6/1. करमा बेवा सुभान खॉ
6/2. गुलाम कादर
6/3. गुलाम नबी
6/4. रमजान
6/5. सफी मोहम्मद
6/6. मांझी खॉ
6/7. रेशमा

पुत्र/पुत्रियॉ सुभान खॉ

7. सुल्तान खॉ पुत्र जगीर खॉ जाति मुसलमान निवासी केलां तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

8. यासीन पुत्र जगीर खॉ जाति मुसलमान निवासी केलां तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर। (फौत)

8/1. हलीमा पत्नी यासीन

8/2. रोशन अली
8/3. मेहबुब अली
8/4. अख्तर अली
8/5. बरकत अली
8/6. अमीना

पिसरान यासीन खॉ

9. कमरूदीन पुत्र सिकन्दर खॉ जाति मुसलमान निवासी केलां तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

10. लियाकत अली पुत्र सिकन्दर खॉ जाति मुसलमान निवासी केलां तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

11. शौकत अली पुत्र सिकन्दर खॉ जाति मुसलमान निवासी केलां तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

12. मु. ममुदा बेवा सिकन्दर खॉ जाति मुसलमान निवासी केलां तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

13. मोहम्मद अली
14. सतार खॉ
15. शम्मीउला
16. शम्मुखॉ
17. आमदशेर
18. मांझे खॉ
19. कर्मा
20. लाली

पिसरान इस्माईल खॉ जाति मुसलमान निवासी तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर

21. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लूणकरनसर

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 22—03—1983
उपखण्ड अधिकारी उत्तर, बीकानेर

उपस्थितः

1. श्री करण सिंह तंवर, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री राजेश बैद, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट्स ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 22—03—1983 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण का वाद स्वीकार किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम केलां तहसील लूणकरनसर की रोही में अपीलांटान् व रेस्पोडेन्ट के दादा सादे खॉ के नाम खसरा नम्बर 23, 25, 40, 109, 343, 368, 369, खसरा नम्बर 195, 470, 431, 526, 538 व 540 में कुल 475 बीघा भूमि थी। जिसके विभाजन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने आप को गुलशेर पुत्र सादेखॉ का दत्तक पुत्र बताते हुए विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया। उक्त वाद में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को 1/7 हिस्से तक का खातेदार धोषित करते हुए विभाजन का वाद स्वीकार किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि वादगत् भूमि ग्राम केलां तहसील लूणकरनसर की रोही में अपीलांटान् व रेस्पोडेन्ट के दादा सादे खॉ के नाम खसरा नम्बर 23, 25, 40, 109, 343, 368, 369, खसरा नम्बर 195, 470, 431, 526, 538 व 540 में कुल 475 बीघा भूमि थी। सादेखॉ का स्वर्गवास हो चुका है। जिसकी वंशावली निम्न प्रकार हैः—

जगीखॉ जमशेद खॉ गुलशेर खॉ खलील खॉ इस्माईल खॉ कालू सिकन्दर गुलाम सदीक
फौत लाऔलाद फौत लाऔलाद फौत फौत फौत फौत फौत फौत

सुभान सुल्तान यासीन

अलीशेर फलकशेर आमदशेर मीठेखॉ अनवर असगर मु. हाता
(फौत)

मोहम्मद अली शम्मीउल्ला शम्मु खॉ आमदशेर मांझे खॉ कमी लाते

कमरूदी लियाकत अली शौकत अली मुमदा

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जोकि वास्तव में अलीशेर पुत्र खलील खॉ का पुत्र है ने अपने आप को दादा खलील के भाई गुलशेर का दत्तक पुत्र बताते हुए सादे खॉ की भूमि में से अपने 1/7 हिस्से का अधिकारी बताते हुए अदालत मातहत के समक्ष विभाजन का वाद प्रस्तुत करते हुए वाद डिक्री करवाया गया है। जिसका कि वह कतई अधिकारी नहीं हैं। प्रकरण की वास्तविकता यह है कि गुलशेर ने अपने जीवन काल में कभी भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को गोद नहीं लिया गया है ना ही मुस्लिम लॉ के अनुसार गोद का कोई प्रावधान है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष किसी प्रकार का कोई गोदनामा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है ना ही अदालत मातहत द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार की कोई शहादत ही ली गई है। केवला मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या/वादी के कथनों पर विश्वास करते हुए वाद डिक्री किया गया है। जिसकी कानून कतई अनुमति प्रदान नहीं करता है।

उन्होनें आगे बताया कि सादे खॉ के आठ पुत्र थे ऐसी स्थिति में गुलशेर स्वयं 1/8 हिस्से का हकदार था ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जोकि गुलशेर का गोद पुत्र बतात है, 1/7 हिस्से का किस प्रकार से अधिकारी हो सकता है। इस स्थिति पर अदालत मातहत द्वारा कतई गौर नहीं किया गया है। अदालत मातहत द्वारा स्पष्ट रूप से मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि प्रकरण की वास्तविक स्थिति यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 आज दिनांक तक अपने प्राकृतिक पिता अलीशेर के पुत्र के नाम से ही जाना व पहचाना जाता है। जिसका प्रमाण वर्ष 1988 से लेकर वर्ष 2009 तक की वोटर लिस्ट है। जिनमें तमाम स्थान पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता का नाम अलीशेर ही लिखा गया है। अतः यह स्थिति स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कभी भी गुलशेर के गोद ही नहीं गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 आज दिनांक तक अपने प्राकृतिक माता—पिता के साथ ही निवास कर रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा मात्र गुलशेर की भूमि हड़पने व अन्य जायज वारिसान को नुकसान पहुॅचाने की नियत मात्र से गलत व मिथ्या तथ्यों के आधार पर दावा पेश करते हुए डिक्री करवाया गया है। प्रस्तुत मामलें में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 15—06—1981 को दावा प्रस्तुत किया गया था उक्त दिनांक को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नाबालिग था ऐसी स्थिति में नाबालिग द्वारा न तो वाद प्रस्तुत किया जा सकता है ना ही नाबालिग के पक्ष में किसी प्रकार का कोई आदेश पारित किया जा सकता है। अदालत मातहत द्वारा इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को दरकिनार करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। उक्त आदेश प्रारम्भ से ही शून्य आदेश व एबईनिशियोंवाईड आदेश है।

उन्होनें आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वाद दायरी के दिन खातेदार काश्तकार नहीं था ऐसी स्थिति में वह धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं था। विभाजन का वाद केवल मात्र सह खातेदार काश्तकार की प्रस्तुत कर सकता है। इस स्थिति का ज्ञान होते हुए भी अदालत मातहत द्वारा महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को नजरअंदाज किया गया है। जोकि स्वीकार योग्य नहीं है।

प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र पर ना तो सही रूप से तनकीयात कायम की गई ना ही तनकीवार निर्णय पारित किया गया है। उक्त तथ्य अदालत मातमत की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट साबित भी होता है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचानें की नियत मात्र

से तमाम कानूनी बिन्दुओं को नजरअंदाज करते हुए आदेश जैर अपील पारित करने में भंयकर कानूनी भूल कारित की गई है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश उपलब्ध कानूनी बिन्दुओं के विपरीत पारित किया गया आदेश है। जिसकी पुष्टि किया जाना कानून का माखौल उड़ाने जैसा होगा। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में सीसीसी 2012 पार्ट I पेज 587, आरआरडी 1991 पेज 499, सीसीसी 2010 पार्ट 4 पेज 715, आरआरडी 2004 पेज 261, डब्ल्यूएलएन 1990 पार्ट I पेज 247, आरबीजे 2000 पेज 329, सीसीसी 2014 पार्ट 4 पेज 664, सीसीसी 2014 पार्ट I पेज 255, आरआरडी 2013 पेज 193, आरआरडी 2010 पेज 730, आरबीजे 2007 पेज 195, आरआरडी 2007 पेज 264 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

मियांद के बिन्दु पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि एक पैतृक भूमि है तथा मौके पर सभी पक्षकार अपने—अपने कब्जे काश्त पर काबिज है तथा उक्त भूमि का कभी भी विभाजन नहीं हुआ था। इसलिए अपीलांट को उक्त आदेश की कभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई। दिनांक 05—07—2011 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भूमि का हस्तान्तरण करवाने मौके पर आने पर अपीलांट्स द्वारा विरोध किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा बताया गया कि गुलशेर की भूमि को बहुत पहले ही अपने नाम करवा चुका है। इस पर अपीलांट्स को तहसील व अधिनस्थ न्यायालय में रिकार्ड के बारे में छानबीन की गई तब इस तथ्य की जानकारी प्राप्त हुई कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा बाले—बाले विभाजन करवा लिया गया है। लिहाजा जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियांद प्रस्तुत की गई है। अतः अपीलांट की अपील मियांद शुमार धोषित की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट/रेस्पोडेन्ट्स गांव केलां तहसील लूणकरनसर के निवासी है तथा एक ही परिवार के सदस्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी को गुलशेर ने अपने जीवन काल में भी मुस्लिम रिति रिवाज के अनुसार

गोद ले लिया था तभी से रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी गुलशेर के साथ निवास करता रहा है। वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता व अपीलांट व अन्य रेस्पोडेन्ट्स के पिता के नाम गाम केलां में सुयक्त खातेदारी भूमि स्थित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी के पिता का स्वर्गवास होने के उपरान्त वादगत् भूमि का हिस्सेदार व खातेदार होने के आधार पर अदालत मातहत के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत वादपत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अदालत मातहत द्वारा तमाम कानूनी बिन्दुओं के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी का वाद डिक्री किया गया है।

उन्होनें आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा कुल वादगत् भूमि 475 बीघा 12 बिस्वा भूमि में से 1/7 हिस्से का कानूनी अधिकारी माना गया है। जहॉ तक प्रकरण में अपीलांट का कथन है कि वह कभी भी गुलशेर के गोद नहीं गया है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है क्योंकि गुलशेर ने अपने जीवनकाल में ही मुस्लिम रिति रिवाज के अनुसार गोद लिया था। इस तथ्य को अदालत मातहत के समक्ष परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा स्वीकार भी किया गया है। जहॉ तक मुस्लिम विधि में गोद का प्रश्न है इस संबंध में राजस्थान के मुस्लिम समुदाय में अन्य समुदायों की तरह की स्थानीय परम्पराओं के अनुसार गोद लेने की परम्परा रही है तथा इसे मान्यता भी प्रदान की गई है।

उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट का तर्क की वाददायारी के दिन वादी नाबालिग था। इस संबंध में अपीलांट द्वारा प्रदर्श के रूप में जो वोटर लिस्ट प्रस्तुत की गई है वे अपने आप में अपूर्ण व अनुमान के आधार पर अंकित की गई उम्र है। जिसके अवलोकन मात्र से साबित है कि वे अपने आप में विरोधाभासी है। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष कोई ठोस दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित होता हो कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वाद दायारी की दिनांक को नाबालिग था।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र पर नियमानुसार तनकीयात कायम की गई। तनकी संख्या 1 कायम की गई कि आया वादी मृतक गुलशेर का

खोलायत पुत्र होने से उसका कानूनन वारिस है? व तनकी संख्या 2 कायम की गई कि आया वादी का नाम रेकार्ड में दर्ज न होने से वह विभाजन कराने का अधिकारी है? उक्त दोनों तनकीयात को साबित करने का भार रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी पर था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत तनकीयात के संबंध में राजस्व रिकार्ड यथा नकल जमाबन्दी संवत् 2033 से 2036 प्रस्तुत की गई तथा बयान अमीन व गामू आदि के दर्ज करवाये गये। जिसके आधार पर अदालत मातहत द्वारा दोनों तनकीयात् को एक साथ निर्णित करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी को गुलशेर का दत्तक/खोलायत पुत्र मानते हुए वाद डिक्री किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का कथन कि अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र में सही रूप से तनकीयात् कायम नहीं की गई ना ही उक्त तनकीयात् का सही विवेचन किया गया है, स्वीकार योग्न कथन नहीं है। अदालत मातहत द्वारा सही रूप से प्रकरण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार तनकीयात् कायम की गई व राजस्व रिकार्ड व प्रस्तुत बयानों के आधार पर सही विवेचना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि नहीं है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि अपीलांट स्वयं द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 16—02—2015 को अपील विड्रा करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा उक्त तथ्य की ताकीद अन्य रेस्पोडेन्ट्स यथा खलील, कमरूदीन, शौकत, लियाकत, रोशन व मंजूर आदि ने जरिये शपथ पत्र की गई थी। ऐसी स्थिति में यह साबित होता है कि अपीलांट व अन्य रेस्पोडेन्ट्स इस तथ्य को कहीं ना कहीं स्वीकार कर रहे है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 गुलशेर का गोद पुत्र है तथा वादगत् भूमि पर उसका हक व हिस्सा निहित है।

उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अपील स्पष्ट रूप से मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 22—03—1983 को पारित किया गया था जिसके विरूद्व अपील दिनांक 21—07—2011 को प्रस्तुत की गई है जोकि करीब 28 वर्ष उपरान्त प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा मियांद को कण्डोन करने के जो कारण मियांद प्रार्थना पत्र में अभिलिखित किये गये है वे ठोस कारण

प्रतीत नहीं होते है केवल मात्र अनुमान के आधार पर दिनांक को अंकित किया गया है। जबकि अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत वाद धोषणात्मक व विभाजन का था जिसमें सभी पक्षकारान् एक ही परिवार के सदस्य थे तथा पुश्तैनी भूमि के संबंध में ही वाद प्रस्तुत किया गया था। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स को आदेश जैर अपील की जानकारी नहीं होना पूर्णतया मिथ्या व मनगढ़ंत कथन होने से अस्वीकार है। अपीलांट फलकशेर द्वारा पूर्व में अपने हिस्से की भूमि का भी विक्रय किया गया है ऐसी स्थिति में उसे वादगत् भूमि के बाबत् तमाम राजस्व रिकार्ड की भी जानकारी थी। अपीलांट द्वारा मिथ्या कथनों के आधार पर धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट्स स्वच्छ हाथों से अदालत के समक्ष नहीं आये है। अतः अपीलांट्स का मियांद प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष रेस्पोडेन्ट/वादीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में जमाबन्दी संवत् 2033 —2036 प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा तमाम राजस्व रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात् गवाह, ब्यान, साक्ष्य व सबूत के उपरान्त कायम की गई तनकीयात का विस्तृत विश्लेषण एवं विवेचन करते हुए विधि सम्मत रूप से वादीगण/रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि के 1/7 हिस्से तक का खातेदार काश्तकार धोषित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री यथावत कायम रखा जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरबीजे 2007 पेज 19 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील का प्रतिवाद करते हुए मियांद बिन्दु पर अपनी आपत्ति पेश की तथा अपील का निर्णय गुणावगुण पर करने से पूर्व मियांद बिन्दु पर निर्णय का अनुरोध किया।

मियांद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत दरखवाश्त में अपीलांट ने उल्लेख किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें सम्मत तामील नहीं करवाये जाने के कारण उन्हें निर्णरू का ज्ञान नहीं था। भूमि मौके पर सामलाती कब्जा काश्त की होने के कारण दिनांक 05—07—2011 तक उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं था कि धोषणा या विभाजन की कोई डिक्री पारित की गई हो। अपीलांट ने अपील पेश करने में हुए 20 साल के विलम्ब को माफ करने के तर्क के समर्थन में रामदेव बनाम मंगल आरबीजे 2007, रामजीराम बनाम चतराराम आरआरडी 2013, दिगविजय बनाम संतराम राजस्थान उच्च न्यायालय, रामप्रताप बनाम स्टेट आरआरडी 2007 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये जिसमें किसी पक्षकार के फौत होने के उपरान्त उसके वारिसान को रिकार्ड पर लेने में हुए विलम्ब को माफ किया जाना उचित माना है।

इसीक्रम में इलाहबाद उच्च न्यायालय के निर्णय डोडुराम बनाम कलेक्टर पीलीभीत (2014) की नजीर पेश की जिसमें विलम्ब की लम्बी अवधि को वाद के गुणावगुण के संदर्भ में देखकर उचित पाये जाने पर विलम्ब माफ किये जाने की राय दी गई है। इसी तरह राजस्व मण्डल द्वारा निर्णित माधोसिंह बनाम खेमाराम आरबीजे 2000 के मामलें में मियांद के प्रावधानों को पक्षकारों के अधिकारों तथा सारभूत न्याय के उपर प्रभावी नहीं मानने का मत प्रकट किया गया है।

रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पेश करने तथा प्रतिवादीगण के रूप में संयोजित सभी व्यक्ति एक ही परिवार के सदस्य होने, सभी पक्षकार एक ही गांव में रहने तथा कुछ सहखातेदारों द्वारा इकबालिया जवाब पेश करने के आधार पर कुछ अन्य पक्षकार(अपीलांट्स) को 28 साल तक जानकारी न होने के तर्क को अव्यवहारिक बताया तथा पक्षकारों के मध्य 28 साल पूर्व स्थापित

अधिकारों को नष्ट करने के प्रयास पर आधारित अपील को मियांद बाहर मानकर खारिज करने का अनुरोध किया है।

उभय पक्ष की बहस पर गौर किया तथा परीक्षण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी/रेस्पोडेन्ट अमीन द्वारा अपने आपको गुलशेर का गोदपुत्र बताते हुए वर्ष 1981 में वाद पेश किया गया। जिसमें गुलशेर द्वारा मृत्यु से पूर्व वादी को स्थानीय रीति रिवाज के अनुसार गोद लेने का उल्लेख किया गया है। उक्त वादपत्र पेश होने पर प्रतिवादीगण की और से श्री एन.सी.रांका एडवोकेट उपस्थित हुए तथा अगली सुनवाई तिथि को प्रतिवादी सुभान, जमशेर, कालू तथा गुलाम सदीक ने इकबालदावा पेश किया। चारों व्यक्ति मृतक गुलशेर के सगे भाई थे। ऐसी स्थिति में संभावना नहीं है कि शेष दो भाईयां तथा एक अन्य भाई खलील के वारिसों को वाद प्रस्तुत होने की जानकारी न हो। क्षण भर के लिए मान भी लिया जावे कि उन्हें जानबूझकर वाद की जानकारी नहीं दी गई हो तो भी गुलशेर, खलील, जगीर खॉ तथा सिकन्दर की मृत्यु अपील पेश करने से काफी पहले हो चुकी थी, जिनके वारिसों के नाम से विवादति संयुक्त खातेदारी भूमि का नामान्तरणकरण भी स्वीकार किया होगा। संभव नहीं है कि सहखातेदारों को राजस्व रिकार्ड में नाम होने की जानकारी न हो।

अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातों में पक्षकारों के अधिकारों को समाप्त करने वाले किसी एकतरफा निर्णय की जानकारी लम्बे समय तक न हो पर कितनी ही लम्बी अवधि के विलम्ब को क्षमा करना उचित माना गया है, परन्तु विचाराधीन मामलें में एक ही परिवार के आठ भाईयों तथा उनके पुत्र/पुत्रियों में से आधे सह खातेदारों को वाद की कार्यवाही की लगातार जानकारी होने, सुयक्त खातेदारी की पुश्तैनी भूमि पर सामलाती कब्जा काश्त होने तथा सहखातेदारों की जानकारी में समय समय पर भू–अभिलेख में परिवर्तन होने की जानकारी के बावजूद परीक्षण न्यायालय के निर्णय की जानकारी 28 वर्ष तक नहीं होने का तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

मियांद के प्रश्न को पक्षकारों के अधिकारों के निर्धारण करने वाली डिक्री को विधिक प्रावधानों के संदर्भ में भी जॉचना आवश्यक है।

अपीलांट का तर्क है कि मुस्लिम विधि में गोद लेने को कानूनी मान्यता नहीं होने के कारण परीक्षण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को गोदपुत्र मानने में कानूनी भूल की है। अपीलांट ने वादी/रेस्पोडेन्ट अमीन द्वारा वाद पेश करने की तिथि को नाबालिग होने तथा मृतकों के विरूद्व वाद पेश करने को भी परीक्षण न्यायालय की गंभीर भूल बताते हुए अपीलाधीन डिक्री को आरम्भ से ही शून्य होने का तर्क दिया है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने मुस्लिम विधि व परम्परा में गोद लेने के रिवाज को विधि मान्य बताते हुए इसके समर्थन में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अलादीन के वारिस बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू व अन्य आरबीजे 2007 में दिये गये निर्णय को न्यायिक दृष्टांत के रूप में पेश किया। इस मामलें का विचारण करते हुए न्यायालय ने माना है कि शरीयत या हादिया के सिद्वान्तों के तहत गोद का प्रावधान नहीं होने के उपरान्त भी राजस्थान के मुस्लिम समुदाय में अन्य समुदायों की स्थानीय परम्पराओं के प्रभाव से गोद लेने की स्थानीय परम्परा रही है तथा न्यायालयों ने समय—समय पर इसे मान्यता दी है। विचाराधीन अपील के पक्षकारों पर भी स्थानीय परम्परा का प्रभाव रहा है तथा वादपत्र में गोद के आधार पर चाहे गये अनुतोष की अन्य पक्षकारों व पारिवारिक सदस्यों ने ताईद की है। इसी तरह वाद पेश करने की तिथि को वादी अमीन के नाबालिग होने के पक्ष में मतदाता सूचियों के अनुमान के आधार पर अंकित उम्र के दस्तावेजों के अलावा कोई ठोस दस्तावेजी सबूत नहीं होने के कारण 30 वर्ष बाद सही सही उम्र को प्रमाणित करना संभव नहीं है। अपीलांट द्वारा उठाई गई दोनों आपत्तियॉ सारभूत व ठोस नहीं होने के कारण वाद के निर्णय के 30 साल बाद तत्कालीन स्थिति को तब्दील किया जाना न्यायसंगत नहीं है।

अपील की सुनवाई के दौरान ही अपीलांट संख्या 1 फलकशेर ने दिनांक 16—02—2015 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपील विड्रा का प्रार्थना पत्र पेश किया तथा इसी दिन रेस्पोडेन्ट्स खलील, कमरूदीन, शौकत, लियाकत, रोशन, मंजूर ने अपील के कथनों के विरूद्व शपथ पत्र पेश किये तथा डिक्री की ताईद की। अपीलांट ने उक्त शपथपत्रों के जवाब में अन्य रेस्पोडेन्ट्स के शपथ पर भी पेश किये तथा अपीलांट फलकशेर भी अपने पूर्व स्टेण्ड से मुकर गया। अधिकतर पक्षकार निरक्षर

एवं कानूनी प्रावधानों से अनभिज्ञ होने के कारण प्रायोजित कार्यक्रम के तहत दस्तावेजों पर अंगूठा निशानी कर रहे है। पक्षकारों के पूर्वज सादेखॉ के सभी वारिसों का गत् 38 साल का आचरण मृतक गुलशेर के लाऔलाद फौत होने के उपरान्त उसकी विरासत स्थानीय परम्परा के अनुसार रेस्पोडेन्ट अमीन को विधिवत ढंग से सौपें जाने की ताईद कर रहा है। जिसे इतनी लम्बी अवधि के उपरान्त चुनौती दी जाकर इंकार नहीं किया जा सकता।

8. लिहाजा उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की अपील मियांद बाहर एवं सारहीन पाये जाने से अस्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर का अपीलाधीन आदेश यथावत बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 25.04.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर